राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग–6)

☎ 0141-2227052 ✉ **pdsap-rd-rj@gov.in** **Website: rdprd.gov.in**

कमांक प. 14(40)ग्रा.वि./ग्रुप 6/एमएलए/गाईड लाईन/2022/3755-3833 जयपुर, दिनांक 03 NOV 2022

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद्,
समस्त (राज.)।

विषय :– विधायक कोष में चिकित्सा हेतु आरक्षित राशि में से अवशेष रही राशि को अन्य विकास कार्यों में खर्च करने की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत विभागीय परिपत्र दिनांक 16.08.2021 के द्वारा विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत प्रति. माननीय विधायक राशि रू. 225.00 लाख से बढ़ाकर 500.00 लाख रू. का आवंटन निर्धारित किया गया था जिसमें से 175.00 लाख रू. सामान्य स्वास्थ्य सुविधा विकास हेतु आरक्षित रखते हुए स्वास्थ्य के लिए आधारभूत संरचना में विकास हेतु प्रावधान किया गया था।

उक्त प्रकरण में निम्नानुसार दिशा–निर्देश दिये जाते है :–

1. वित्तीय वर्ष 2021–22 में Medical Infrastructure के सुदृढ़ीकरण हेतु निर्धारित राशि रू. 175.00 लाख प्रति विधानसभा क्षेत्र में से यदि कोई अनुपयोजित राशि अवशेष है तो उसे प्रचलित निर्देशों के अनुसार विकास कार्यों में सम्बन्धित माननीय विधायक की अनुशंषानुसार उपयोग में ली जा सकती है।
2. चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में आवंटित संपूर्ण राशि रू. 500.00 लाख प्रति विधानसभा क्षेत्र प्रचलित निर्देशों के अनुसार विकास कार्यों में संबंधित विधायक की अनुशंषानुसार उपयोग में ली जा सकती है।

यह वित्त विभाग की आई.डी.संख्या–332200761 दिनांक 01.11.2022 से अनुमोदित है।

भवदीय,

(मंजू राजपाल)
शासन सचिव

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा जयपुर।
5. समस्त माननीय विधायकगण, राजस्थान जयपुर।
6. वरिष्ठ उपसचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
10. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
11. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
12. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
13. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि उक्त दिशा–निर्देश की एक प्रति अपने जिले से संबंधित माननीय विधायकगण को उपलब्ध करावें।
14. प्रोग्रामर ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट info-rdprd@nic.in पर अपलोड करने हेतु।

परि. निदे. एवं पदेन उप सचिव
(एसएपी)
3/11/2022

D:\MLALAD Notsheet & Letter\Letters 2022.docx